



उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

मिस पिटीशन नं०-06/2019

दुखनी देवी उर्फ अनीमा देवी

बनाम्

सनातन दत्ता वगैरह

—: आदेश :—

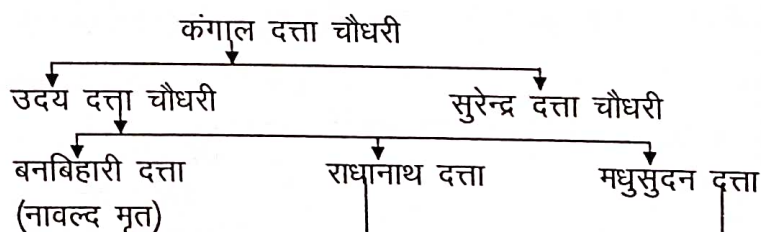
दिनांक

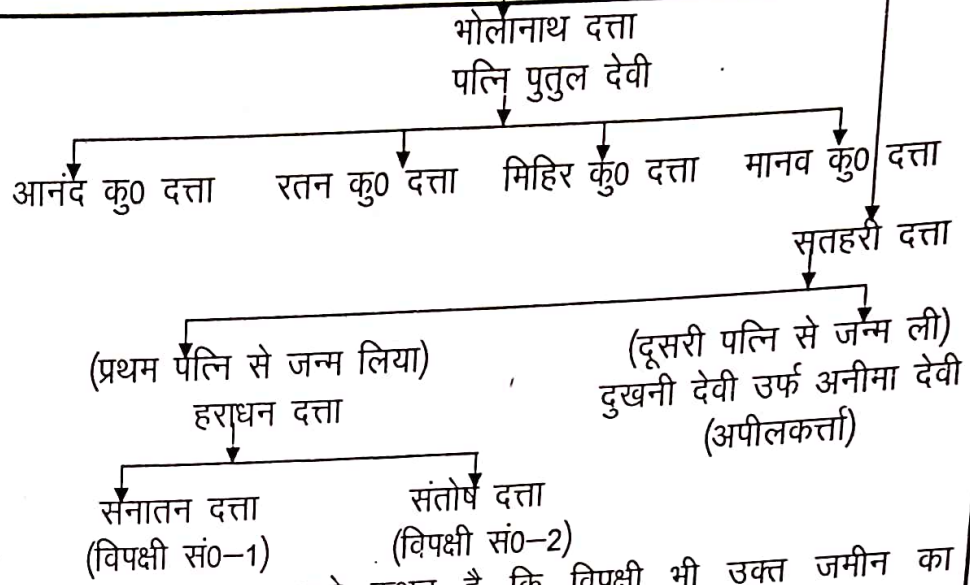
12/08/2019

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्ता दुखनी देवी उर्फ अनीमा देवी, पे०-स्व० सतहरी दत्ता, पति-सुनील गण, सा०-न्यू कुम्हार पाड़ा टीका बाबा रोड घाट रसीकपुर, दुमका, जिला-दुमका के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्ता ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के मिस केश नं०-42/2018-19 आदेश दिनांक-28.01.2019 के विरुद्ध अपील आवेदन दाखिल किया है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा ने आदेश दिनांक-28.01.2019 के द्वारा अपीलकर्ता दुखनी देवी उर्फ अनीमा देवी के दावा आवेदन को खारिज किया है।

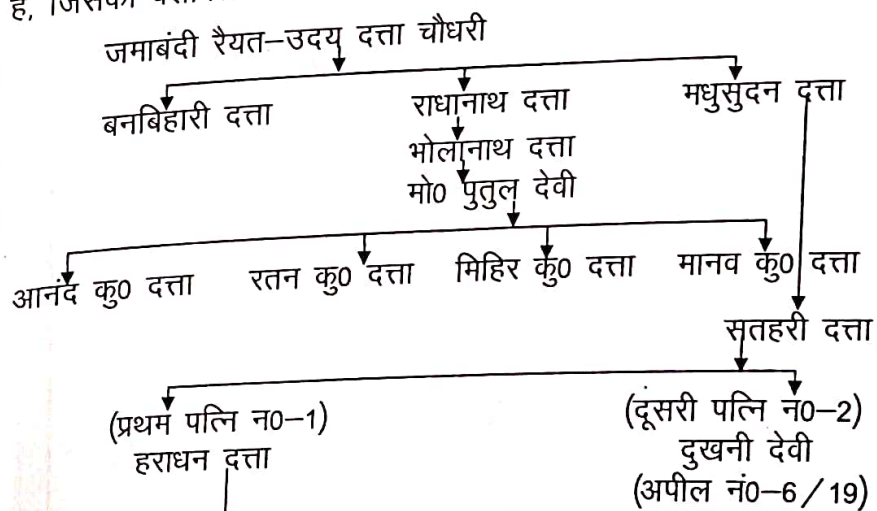
अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा-खदहरा घाट के जमाबंदी सं०-07 के दाग नं०-74 एवं 76 की जमीन एन०टी०पी०सी०, एम०जी०आर० रेलवे लाईन निर्माण कार्य हेतु अधिग्रहण किया गया है, का मुआवजा भुगतान करने के लिए अपीलकर्ता के द्वारा श्रीमान के न्यायालय में मिस आवेदन नं०-28/18 दायर किया गया था। उक्त वाद में आदेश दिनांक-06.11.18 के द्वारा अपीलकर्ता के आवेदन को नियमानुसार विचार करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा को भेजा गया। लेकिन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा ने अपीलकर्ता के दावा आवेदन को खारिज किया है, जिससे विक्षुब्ध होकर अपीलकर्ता ने वर्तमान अपील वाद दायर किया है। अपीलकर्ता गत जमाबंदी रैयत के वंशज है। उनके द्वारा वंशावली निम्न प्रकार दर्शाया है :-





उनका आगे कथन है कि विपक्षी भी उक्त जमीन का मुआवजा पाने के लिए समान रूप से हकदार है, क्योंकि संशोधित हिन्दु कानून के अनुसार पुत्री एवं भाई को विरासत का समान अधिकार है। लेकिन अंचल अधिकारी, महागामा के प्रतिवेदन के आधार पर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा गलत एवं अवैध ढंग से अपीलकर्ता के आवेदन को खारिज किया गया। जबकि अपीलकर्ता मधुसुदन दत्ता या सतहरी दत्ता के सम्पत्ति पर आधा मुआवजा पाने के हकदार है एवं आधा हकदार विपक्षी सनातन दत्ता एवं संतोष दत्ता है। अंचल अधिकारी, महागामा के दिनांक-05.11.18/06.11.18 से भी पता चलता है कि दुखनी देवी, पिता-सतहरी दत्ता भी मुआवजा पाने के हकदार है। अपीलकर्ता ने अंत में मुआवजा दिये जाने हेतु दावा तय करने के लिए अभिलेख विशेष न्यायालय दुमका भेजने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में उदय दत्ता चौधरी वगैरह के नाम से दर्ज है, जिसका वंशावली निम्न प्रकार है :-



[Signature]

सनातन दत्ता
(उत्तरवादी)

संतोष दत्ता
(उत्तरवादी)

उनका आगे कथन है कि पक्षकार तामोली बंगाली है, जिसके सम्पत्ति पर हक का निर्धारण दयाभाग विद्यालय या बंगाली विद्यालय से शासित होता है। जमाबंदी रैयत उदय दत्ता चौधरी को क्रमशः तीन पुत्र बन बिहारी दत्ता, राधानाथ दत्ता एवं मधुसूदन दत्ता हुए। बन बिहारी दत्ता की मृत्यु नाबल्द हो गयी। दो पुत्र राधानाथ दत्ता एवं मधुसूदन दत्ता जीवित रहे और दोनों ने अपने पिता का आधा-आधा जमीन प्राप्त किया। राधानाथ दत्ता को एक पुत्र भोलानाथ दत्ता हुए एवं मधुसूदन दत्ता को एक पुत्र सतहरी दत्ता हुए। भोलानाथ दत्ता एवं सतहरी दत्ता ने अपने-अपने पिता की हिस्से की जमीन प्राप्त किये। भोलानाथ दत्ता अपने पीछे अपनी पत्नि पुतुल देवी एवं चार पुत्र क्रमशः आनंद कु० दत्ता, रतन कु० दत्ता, मिहिर कु० दत्ता एवं मानव दत्ता को छोड़कर फौत कर गये। दूसरी तरफ सतहरी दत्ता को पहली पत्नि से एक पुत्र हराधन दत्ता हुए एवं दूसरी पत्नि से एक मात्र पुत्री दुखनी देवी हुई। हराधन दत्ता एवं दुखनी देवी सौतेला भाई-बहन है। इसलिए दयाभाग कानून के अनुसार हराधन दत्ता अपने पिता के इकलौते पुत्र होने के कारण एवं सपिण्डशिप का संबंध होने के कारण पुत्र को ही अपने पिता के सम्पत्ति पर न्यायगत हक प्राप्त होता है तथा दुखनी देवी हराधन दत्ता के सौतेली बहन होने के कारण एवं उनका शादी होने के बाद उन्हें हक प्राप्त नहीं है और मुआवजा की राशि भी उनको प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए अपने पिता का एक मात्र पुरुष उत्तराधिकारी होने के कारण मुआवजा राशि प्राप्त करने का हकदार उत्तरवादी ही है। उनका आगे कथन है कि जिला भू-अर्जन पदाधिकारी एक न्यायालय है, जो कि उपायुक्त का शक्ति प्रदत्त है। उसी आधार पर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा ने अपीलकर्ता के दावा आवेदन को खारिज किया है। इसलिए पूर्व निर्णित कानून द्वारा बाधित होने के कारण वर्तमान अपील वाद चलने योग्य नहीं है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्ता अपने पिता की मृत्यु के बाद कभी भी सम्पत्ति के लिए दावा नहीं की है। पुतुल देवी के कहने पर अपीलकर्ता द्वारा वर्तमान वाद दायर किया गया है। जबकि अंचल अधिकारी, महागामा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उत्तरवादी ही उक्त अधिग्रहण जमीन का आधा हिस्सा का हकदार है। उन्होंने अपीलकर्ता के अपील आवेदन को खारिज करते हुए पहले से तैयार मुआवजे के आधार पर समान रूप से मुआवजा के विभाजन

का निर्देश जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा को देने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के पत्रांक-348/जि0भू0अ0 दिनांक-27.03.19 के जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया गया है कि एन0टी0पी0सी0 एम0जी0आर0 रेल निर्माण हेतु मौजा-खदहरा घाट, अंचल-महागामा के अन्तर्गत जमाबंदी नं0-7 के तहत दाग नं0-64, 66, 77, 72 एवं 76 का एवार्ड उपायुक्त-सह-समुचित प्राधिकार के द्वारा दिनांक-07.12.2017 को घोषित किया गया है। उपायुक्त न्यायालय में मिस पिटिशन सं0-29/2018 पुतुल देवी बनाम् सनातन दत्त एवं अन्य तथा मिस पिटिशन सं0-28/2018 दुखनी देवी बनाम् सनातन दत्त के वाद में माननीय न्यायालय के द्वारा अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी के कराये गये जाँच प्रतिवेदन के साथ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेशित किया गया था। उक्त के आलोक में विविध वाद संख्या-42/2018-19 संधारित कर सुनवाई की गई एवं आदेश पारित किया गया। पारित आदेश के उपरांत मृत एवार्डियों के स्थान पर उनके वर्तमान वारिसानों को एवार्ड के भुगतान हेतु उपायुक्त महोदया से आदेश प्राप्त किया गया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मामला मौजा-खदहराघाट के अन्तर्गत दाग नं0-64, 66, 77, 72 एवं 76 के जमीन का अवार्ड भुगतान से संबंधित है। अपीलकर्ता ने अधिग्रहित जमीन का आधा हिस्सा का अवार्ड भुगतान करने के लिए दावा किया है। इसके पूर्व मिस पिटीशन नं0-29/18 दायर किया गया था। उक्त वाद में दिये गये निदेश के आलोक में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा विविध वाद सं0-42/2018-19 के आदेश दिनांक-28.01.2019 के द्वारा दुखनी देवी के दावा को खारिज किया गया है। उसी आदेश के विरुद्ध वर्तमान अपील वाद लाया गया है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि अधिग्रहित जमीन का अवार्ड भुगतान हेतु उपायुक्त, गोड्डा से आदेश प्राप्त है। ऐसी स्थिति में इस स्तर से कोई निर्णय देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलकर्ता का अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Seen
R.S. Adv
19/8/21